2.1 प्रस्तावना

ब्रिटिश दासतां के उपरान्त पन्द्रह अगस्त सन् 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ एवं छब्बीस जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के लोक तंत्रीय शासन व्यवस्था में शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया तथा शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों को केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित किया गया।

स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने अनेक समस्यायें थीं। इन अनेक समस्याओं मे से एक समस्य शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन करने तथा शिक्षा के अवसरों का देश में विस्तार करने की भी थी। सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, अनपढ़ प्रौढ़ो को साक्षर बनाने, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा का विस्तार करने, बालिकाओं, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने तथा मातृभाषा प्रशिक्षक भाषा व राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने जैसी अनेक चुनौतियाँ स्वतंत्र भारत सरकार के सामने थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1948 में डॉ.राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सन् 1952 में डॉ.मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा सन् 1964 में डॉ.कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर कई शिक्षा समीतियों का भी गठन किया गया। सन् 1968 तथा सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा सन् 1979 में तैयार की गई ड्राफ्ट शिक्षा नीति स्वतंत्र भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

प्रस्तुत इकाई में स्वतुंत्र भारत में गठित महत्त्वपूर्ण शैक्षिक आयोग एवं नीतियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप

- स्वतंत्रता के पश्चात गठित शैक्षिक आयोग एवं शिक्षा नीतियों के बारे में समझ सकेंगे।
- राष्ट्रीय विकास एवं आधुनिकीकरण के संबंध में समझ सकेंगे।
- शिक्षा आयोग-1964-66 उसके उद्देश्य एवं संस्तुतियों के संबंध में जान सकेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 व 1986 की जानकारी हो सकेगी।
- सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में समझ सकेंगे।

2.3 स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षो के दौरान शैक्षिक नीति में प्राथमिकताएं

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात शिक्षा को एक राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया गया। स्वाधीन भारत में शैक्षिक इतिहास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। शिक्षा व्यवस्था को देश की नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों की घोषणा की गयी। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के

विकास व विस्तार के प्रयास किये गये, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया, माध्यमिक शिक्षा को बहु-उद्देशीय बनाने पर विचार किया गया, तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर में सुधार करने का प्रयत्न किया गया। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं की शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) तथा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) का गठन किया गया। सन् 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तथा सन् 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई जिसमें कतिपय संशोधन किये गये। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा एवं केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् (CABE) के द्वारा समय-समय पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समितियों तथा कार्यदलों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने स्कूल शिक्षा के सम्बन्ध में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अनेकानेक सार्थक प्रयास किये। राजनैतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविज्ञों, शिक्षा-शास्त्रियों, शिक्षकों तथा अन्य सुधीजनों ने भी समय-समय पर शैक्षिक सुधारों तथा शिक्षा को तदनुसार पुर्नगठित करने के सम्बन्ध में अपने-अपने मन्तव्य प्रस्तुत किये हैं।

आज देश के सामने अनेक समस्याऐं हैं जिनका चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना करना न केवल देश की अस्मिता के लिए वरन इसके अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन लाकर राष्ट्र की अखण्डता तथा अस्मिता की रक्षा कर सकती है। यही कारण है कि विगत कुछ समय से देश में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही जा रही है।

स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति व विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन स्वीकार किया गया तथा भारत में शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। परन्तु सन् 1950 में लागू किये गये भारतीय संविधान में कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर, शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था, इसलिए स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षो से शिक्षा की राष्ट्रव्यापी नीति तैयार करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरणों में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि शिक्षा व्यवस्था का सविस्तार पुनर्निरीक्षण किया जाये जिससे शैक्षिक पुनर्मिमाण के लिए ठीक ढंग से व्यवस्थित प्रयास किये जा सकें। सन् 1964 में भारत सरकार ने डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया जो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप तथा सभी स्तरों व पहलुओं पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धान्तों तथा नीतियों पर सरकार को सलाह दे सके। इस आयोग ने सन् 1966 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य जारी करना चाहिए जिससे राज्यों तथा स्थानीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में शैक्षिक योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए मार्ग दर्शन मिल सके। आयोग ने सरकार

से राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम पारित करने की सम्भावना पर भी विचार करने के लिए कहा। आयोग की सिफारिशों पर पर्याप्त चर्चा हुई तथा विद्वानों, शिक्षाविदों तथा राजनैतिक नैताओं में एक मतैक्य सा हो गया। तब सन् 1968 में भारत सरकार ने स्वीकार किया कि देश के आर्थिक व सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता तथा समाजवादी समाज के निर्माण में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा को मानव जीवन के निकट लाने के लिए शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण, शैक्षिक अवसरों के विस्तार के लिए लगातार प्रयत्न, सभी स्तरों पर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक प्रयास, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के निर्माण पर बल को इस पुननिर्माण में सम्मिलित करना होगा। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय सेवा तथा विकास के लिए दृढ़ संकल्प, चरित्रवान तथा योग्य युवक-युवतियों का निर्माण हो। तब ही शिक्षा राष्ट्रीय विकास को बढ़ाने नागरिकता व संस्कृति की भावना उत्पन्न करने, तथा राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने में अपना योगदान कर, सकती हैं विश्व के देशों में इस राष्ट्र को उसकी महान सांस्कृतिक विरासत तथा झमता के अनुरूप योग्य स्थान प्राप्त कराने के लिए यह आवश्यक है।

बोध प्रश्न

1. प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी?

....

2. सी.ए.बी.ई. का पूरा नाम क्या है?

....

3. शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

....

2.4 शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग (1964-66)

भारत सरकार नें 14 जुलाई, 1964 को अपने प्रस्ताव में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष प्रो.डी.एस.कोठारी थे। उनके नाम पर इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है।

2.4.1 शिक्षा आयोग के उद्देश्य

इस आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य निम्नवत थे-

- स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने देश की परम्पराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयास किया है। इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली का विकास समय की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुआ है।

- स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से भारत ने राष्ट्रीय विकास के एक नवीन युग में प्रवेश किया है इस युग में उसके लक्ष्य हैं– शासन एवं जीवन के ढंग के रूप में धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र की स्थापना, जनता की निर्धनता का अन्त, सभी के लिए रहन–सहन का उचित स्तर, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का तीव्र विकास, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा पारम्परिक आध्यात्मिक मूल्यों के साथ सामंजस्य । इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारम्परिक शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार हुआ है। इसके बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के प्रति व्यापक असन्तोष है, जैसे–अभी तक 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती है। शिक्षा की अनेक गुणात्मक उन्नति के लिए के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जा सका है।
- भारत सरकार इस बात से पूर्ण सहमत है कि शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण का आधार है। देश का हित जितना शिक्षा से सम्भव है उतना किसी अन्य वस्तु से नहीं। अतः सरकार शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान पर अधिकाधिक धन व्यय करने को कटिबद्ध है।
- शैक्षिक विकास की सम्पूर्ण जाँच करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंग एक–दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं तथा प्रभाव डालते हैं। पूर्व में अनेक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के विशेष अंगों एवं क्षेत्रों का अध्ययन किया है। इसके विपरीत अब शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का एक इकाई के रूप में सूक्ष्म अध्ययन किया जाना है।

तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णनन् ने इस शिक्षा आयोग के उद्घाटन के अवसर पर कहा था–

> ‘‘मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि कमीशन शिक्षा के सभी पहलुओं–प्राथमिक, विश्वविद्यालय तथा टेक्नीकल शिक्षा की जाँच करे तथा ऐसे सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा–व्यवस्था को अपने स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिल सके।’’

2.4.2 शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने अपने व्यापक कार्य–क्षेत्र को 13 दलों में विभाजित किया था। इसके लिए उन्होंने 7 कार्य समितियाँ का निर्माण किया। निरन्तर 21 माह तक इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया। आयोग ने **29 जून, 1966** को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्री एम.सी.छागला के समक्ष प्रस्तुत की। इस प्रतिवेदन को शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य (Education and National Development) कहा जाता है।

1. **शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य** – आयोग ने कहा है कि शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए जिससे उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विकास

करके राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने पाँच सूत्रीय सुझाव दिये–

- शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि,
- सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास,
- प्रजातन्त्र की सुदृढ़ता,
- आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता,
- सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास एवं चरित्र–निर्माण।

  इस पाँच सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शिक्षा आयोग ने सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

2. **शिक्षा की संरचना एवं स्तर –** शिक्षा आयोग ने विद्यालयीय शिक्षा की नवीन संरचना इस प्रकार प्रस्तुत की है–

- 1 से 3 वर्ष तक पूर्व विद्यालय शिक्षा,
- 4 से 5 वर्ष तक निम्न प्राथमिक शिक्षा,
- 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा,
- 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा,
- 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।

विद्यालयीय शिक्षा की संरचना सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं–

- सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की रखी जाय,
- प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व 3 वर्ष तक पूर्व विद्यालय तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, का प्रबन्ध किया जाय,
- प्रारंभिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष रखी जाय तथा इसे दो वर्गों सें बाँटा जाय–
  (अ) 4 से 5 वर्ष का निम्न प्राथमिक स्तर, (ब) 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर,
- निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि 3 या 2 वर्ष की जाय,
- निम्न माध्यमिक स्तर पर सामान्य माध्यमिक शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी आयोजन किया जाय।
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 वर्ष की जाय।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा तथा 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय,
- प्रथम सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा के बाद ली जाय,
- दसवीं कक्षा तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों की व्यवस्था समाप्त की जाय,

- ❖ माध्यमिक स्कूल में हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों को सम्मिलित किया जाय।

3. **शिक्षक की स्थिति** – शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को उन्नत करना आवश्यक है। इस तथ्य के सन्दर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये–
   - ➢ भारत सरकार द्वारा शिक्षकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाय, सरकारी एवं गैर–सरकारी सभी विद्यालयों में एक समान वेतन क्रम लागू किया जाय।
   - ➢ प्रत्येक संस्था में शिक्षकों को कार्य सम्पादन सम्बन्धी न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान की जायें।
   - ➢ समस्त शिक्षकों को व्यावसायिक उन्नति करने के लिये उपयुक्त सुविधाँए प्रदान की जायें।
   - ➢ शिक्षकों के कार्य–भार का निर्धारण उसके द्वारा किये जाने वाले सम्पूर्ण कार्य–भार के सन्दर्भ में आँका जाय।
   - ➢ शिक्षकों को पाँच वर्षों में एक बार उनके वेतन–क्रम के अनुसार भारत भ्रमण के लिए रियायती रेलवे टिकट उपलब्ध कराये जायें।
   - ➢ व्यक्तिगत विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा दशाएँ, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं के समान लागू की जायें।
   - ➢ शिक्षकों के लिए सरकारी गृह–निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाय।
   - ➢ शिक्षकों पर चुनावों में भाग लेने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाय।
4. **अध्यापक शिक्षा** – आयोग ने शिक्षक–प्रशिक्षण व्यवसाय को समुन्नत करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये–
   - ➢ 'शिक्षा' को एक विषय के रूप में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाय।
   - ➢ प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था में प्रसार सेवा विभाग की स्थापना की जाय।
   - ➢ सभी शिक्षण संस्थओं को 'ट्रेनिंग कॉलेज' के नाम से पुकारा जाय।
   - ➢ प्रत्येक राज्य में कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलेजों की स्थापना की जाय।
   - ➢ प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा विषय–सामग्री को संशोधित किया जाय।
   - ➢ ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षकों के पास दो स्नातकोत्तर तथा शिक्षा की उपाधि का होना अनिवार्य किया जाय।
   - ➢ अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओं का व्यवस्था की जाय।
   - ➢ प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में नये शिक्षकों के लिए नियमित रूप से ओरिएनटेशन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाय।
5. **छात्र–संख्या एवं जन–बल** – आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सन्दर्भ में इस बिन्दु के अन्तर्गत निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये–

- उत्तर प्राथमिक शिक्षा (Post-Primary Education) में छात्र संख्या सम्बन्धी नीति निर्देशक बिन्दु इस प्रकार होने चाहिए– माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की माँग एवं आवश्यकता; छात्रों के जन्मजात गुणों का विकास; माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए समाज की क्षमता तथा जनबल की आवश्यकताएँ।
- प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की तीव्र गति से माँग में वृद्धि हुई है तथा भविष्य में भी इसकी सम्भावना की जाती है। इस माँग की पूर्ति के लिए शिक्षकों, धन एवं शिक्षण सामग्री को जुटाना कठिन कार्य है। अतः हायर सैकेण्डरी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में केवल चुने हुए छात्रों के प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- केवल प्रतिभाशाली छात्रों को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- शिक्षा सुविधाओं का विस्तार रोजगार प्राप्त करने के अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाय।

6. **शैक्षिक अवसरों की समानता** – आयोग ने भारतीय शिक्षा में व्याप्त दो असमानताओं के संकेत दिये थे – (क) शिक्षा के सभी पक्षों एवं स्तरों पर बालक–बालिकाओं की शिक्षा में असमानता, (ब) उन्नत वर्गों, पिछड़े लोगों, अछूतों तथा आदिवासियों और पहाड़ी जनजातियों की शिक्षा में असमानताएँ। इस सन्दर्भ में आयोग के निम्नांकित सुझाव हैं–

- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक समस्त सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा को शिक्षण–शुल्क से मुक्त कर दिया जाय।
- निम्न माध्यमिक शिक्षा को भी निःशुल्क बनाने के प्रयास किए जायें।
- आगे के 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (हायर सैकेण्डरी) तथा विश्वविद्यालय–शिक्षा को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शुल्क मुक्त कर दिया जाय।
- प्राथमिक स्तर पर बालाकों को पाठ्य–पुस्तकें तथा लेखन सामग्री बिना किसी शुल्क के वितरित की जायें।
- माध्यमिक स्कूलों तथा कॉलेजों में बुक–बैंक की व्यवस्था की जायें।
- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकालयों में छात्रों के लिए पाठ्य–पुस्तकों को पर्याप्त मात्रा में मँगाया जाय।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रतिभावान निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाय।

7. **विद्यालय शिक्षा का विस्तार** - आयोग ने विद्यालय स्तर के परिणाम में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। ये सुझाव हैं–

- प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education) में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य स्तर का एक केन्द्र स्थापित किया जाय।
- प्रत्येक जिलें में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र स्थापित किया जाय।
- व्यक्तिगत संस्थाओं को इस शिक्षा में सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों को पर्याप्त मनोरंजक एवं लचीला बनाया जाय।
- संविधान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश के सभी भागों में 7 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय।
- अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु कारगर उपाय किये जायें।
- माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता पर बल दिया जाय।
- बालिकाओं, अछूतों, जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय।

8. **विद्यालय पाठ्यक्रम** – आयोग ने विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की थी –
   - **निम्न प्राथमिक शिक्षा** – मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा में से कोई एक भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा।
   - **उच्चतर प्राथमिक शिक्षा** – दो भाषाएँ–मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा, हिन्दी या अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा।
   - **निम्न माध्यमिक शिक्षा** – तीन भाषाएँ–मातृभाषा प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी या हिन्दी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा।
   - **उच्चतर माध्यमिक शिक्षा** – कोई दो भाषाएँ तथा तीन वैकल्पिक विषय (इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, कला या शिल्प, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा)।
9. **विद्यालय प्रशासन एवं निरीक्षण** – भारत में विद्यालय प्रशासन एवं निरीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम अप्रभावी तथा असहानुभूतिपूर्ण हैं। इनके प्रभावी संगठन के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये थे –
   - प्रबन्ध–समिति एवं शिक्षक समूहों के मध्य विद्वेषों एवं वैमनस्यपूर्ण सम्बन्धों को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।
   - यदि कोई विद्यालय उपयुक्त ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है तो राज्य सरकार को उसका संचालन स्वयं अपने हाथों में ले लेना चाहिए।
   - व्यक्तिगत विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाय।

- प्रशासन एवं निरीक्षण दोनों को एक-दूसरे से अलग किया जाय। जिला स्तर पर प्रशासन कार्य जिला विद्यालय परिषद को सौंपा जाय तथा निरीक्षण कार्य जिला विद्यालय अधिकारी को दिया जाय।
- प्रत्येक विद्यालय में दो प्रकार से निरीक्षण किया जाय- (अ) प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष में एक बार जिला परिषद द्वारा, (ब) माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा।
- प्रत्येक राज्य में राज्य विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाय।
- शिक्षा मन्त्रालय में एक राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाय। यह भारत सरकार की परामर्शदात्री समिति के रूप में कार्य करे।

10. **शिक्षण विधियाँ, निर्देशन तथा मूल्यांकन** - इस सन्दर्भ में आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं-
    - विद्यालयों में प्रयुक्त शिक्षण विधियों को और अधिक लचीला एवं गत्यात्मक बनाया जाय।
    - शिक्षा में गतिशीलता लाने के लिए शिक्षकों में परीक्षण एवं सृजनात्मक गुणों का विकास किया जाय।
    - नवीन शिक्षण विधियों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों, वर्कशॉपों, प्रदर्शनों तथा परीक्षणों के लिए विचार सम्मेलनों आदि का आयोजन किया जाय।
    - पाठ्य-पुस्तकों के लेखन एवं निर्माण में राष्ट्र के प्रतिभाशाली शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय।
    - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आदर्श पाठ्यक्रम निर्माण की तरह अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा कार्य किया जाय।
    - प्रत्येक राज्य में पाठ्यक्रम निर्माण समिति का संयोजन किया जाय।
    - मार्ग-निर्देशन की प्रक्रिया का प्रारम्भ प्राथमिक कक्षा के बालकों से करना चाहिए।
    - प्राथमिक शिक्षकों को निर्देशन कार्यक्रम संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जाय।
    - माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के लिए न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम लागू किया जाय। 10 माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाय।
    - जिला स्तर पर 'निर्देशन ब्यूरों' की स्थापना की जाय।
    - मूल्यांकन को सभी स्तरों पर प्रभावी बनाया जाय। निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन द्वारा मूलभूत कुशलताओं में छात्रों की उपलब्धि को सुधारा जाय। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर छात्रों की उपलब्धि की जाँच के लिए मौलिक एवं निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाय।
    - बाह्य परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों के माध्यम से आयोजित की जायें, आन्तरिक परीक्षा व्यापक हों।

2.4.3 शिक्षा आयोग का मूल्यांकन

शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की दो कसौटियाँ हो सकती हैं-

- आयोग के गुणों को परखना,

- आयोग के दोषों का विश्लेषण करना।

इस प्रकार शिक्षा आयोग के गुण–दोष निम्नलिखित हैं–

(1) **शिक्षा आयोग के गुण –** शिक्षा आयोग को भारतीय ऐतिहासिक शिक्षा परिदृश्य पर सर्वश्रेष्ठ आयोग कहा गया है। इस आयोग ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की मार्मिक व्याख्या तथा सन्तुलित एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

शिक्षा आयोग के उल्लेखनीय गुण निम्नलिखित हैं–

- जन–शिक्षा प्रचार एवं प्रसार के लिए व्यावहारिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत करना।
- वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसन्धनों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त प्रदान करना।
- शिक्षा के सर्वागीण पक्षों में सन्तुलित विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना तथा उसके पुनरंगठन सम्बन्धी ठोस सुझाव प्रस्तुत करना।
- शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करने की सिफारिश करना।
- सभी छात्रों को प्रजातांन्त्रिक समानता के अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ठोस कदम उठाना।
- माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण व्यावसायोन्मुखी बनाकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- शिक्षा के सभी स्तरों के लिए अनुकूल, सन्तुलित पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

(2) **शिक्षा आयोग के दोष –** समकालीन विद्वानों ने शिक्षा आयोग में निम्नलिखित दोष बताये हैं–

- शिक्षा आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा का स्वरूप समाप्त हो गया।
- अंग्रेजी भाषा पर अतिरिक्त बल देने से भारतीय भाषाओं का विकास अवरूद्ध हो गया।
- संस्कृति अध्ययन की पूर्ण उपेक्षा की गयी।
- विज्ञान एवं प्रैद्योगिकी की शिक्षा पर अनावश्यक बल देने से बलकों का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास अवरूद्ध हो गया।
- प्रारम्भिक शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया।
- शिक्षकों को अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने में शिक्षा आयोग पूर्ण असफल रहा
- अनेक महत्त्वपूर्ण सुझावों को धन के अभाव में क्रियान्वित नहीं किया जा सका, अतः शिक्षा की यथास्थिति बनी रही।
- इस आयोग के अनेक विदेशी एवं देशी सदस्यों ने आयोग के कार्य में उपेक्षा भाव का प्रदर्शन किया था।

बोध प्रश्न

1. शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए ?

....

....

2. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य कौन-कौन थे ?

....

....

3. शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया?

....

....

4. शिक्षा आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष रखने का सुझाव दिया था?

....

....

5. शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा में व्याप्त किन दो असमानताओं की ओर संकेत दिया था?

....

....

6. शिक्षा आयोग द्वारा प्रत्येक विद्यालय में कितने प्रकार के निरीक्षण के सुझाव दिये थे?

....

....

2.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1968

भारत सरकार द्वारा सन् 1968 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 17 आधारभूत सिद्धान्तों को स्थापित किया गया है तथा कहा गया है कि भारत सरकार इन सिद्धान्तों के अनुरूप देश में शिक्षा का विकास करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा के ऊपर किये जाने वाले व्यय को बढ़ाकर यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के **छः प्रतिशत** के बराबर लाने का भी प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित सिद्धान्त संक्षेप में निम्नवत् हैं-

- **निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा**

  संविधान की धारा-45 के अनुरूप 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए श्रमपूर्वक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

- **अध्यापकों का स्तर, वेतन तथा शिक्षा**

- शिक्षा की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान करने वाले कारकों में अध्यापक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उसके व्यक्तिगत चरित्र व गुणों, शैक्षिक योग्यताओं तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुए पर्याप्त तथा संतोषजनक होने चाहिए।
- अध्यापकों को स्वतन्त्र अध्ययन करने, अनुसंधान सम्बन्धी निबन्ध प्रकाशित करने तथा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय समस्याओं पर लिखने या भाषण देने की शैक्षिक स्वतन्त्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
- अध्यापक शिक्षा विशेषकर अन्तःसेवा अध्यापक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

- **भाषाओं का विकास**
  - **क्षेत्रीय भाषायें** – शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए एक आवश्यक कदम भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना है।
  - **त्रिभाषा सूत्र** – राज्य सरकारों को माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाना व लागू करना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में, हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी व अंग्रेजी के अलावा किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें किसी दक्षिण भाषा को वरीयता दी जाये तथा अहिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी के साथ हिन्दी को रखना चाहिए। विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में हिन्दी व अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे छात्र विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप इन भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त कर लें।
  - **हिन्दी –** हिन्दी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यथासम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि यह संविधान की धारा–351 के प्राविधान के अनुरूप भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
  - **संस्कृत–** भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत के विशेष महत्व तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में उसके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक शिक्षण की सुविधाँए उदारतापूर्वक प्रदान की जानी चाहिए।
  - अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएँ– अंग्रेजी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाएिह।

- **शिक्षा के अवसरों का समानीकरण**
  - शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाना चाहिए तथा गामीण व अन्य पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
  - सामाजिक समाकलन तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए समान स्कूल पद्धति (Common School System) को अपनाया जाना चाहिए। सामान्य स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। पब्लिक स्कूलों में छात्रों को प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए

तथा सामाजिक स्तर के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए आनुपातिक आधार पर कुछ छात्रों को शुल्क मुक्ति दी जानी चाहिए।

- लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से विकलांग बालकों के लिये शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए।
- शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बालकों के लिये शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए।

- **प्रतिभा की खोज**

प्रवीणता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं, उनको छोटी उम्र में ही खोज निकाला जाये तथा उनके विकास के हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए।

- **कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा**

परस्पर सेवा तथा सहयोग के उपयुक्त कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल तथा समुदाय को एक दूसरे के निकट लाया जाना चाहिए। अतः सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सार्थक व चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के भाग सहित कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा, शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए। इन कार्यक्रमों में स्वावलम्बन, चरित्रनिर्माण व सामाजिक संकल्प की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।

- **विज्ञान शिक्षा तथा अनुसांधन**

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए विज्ञान की शिक्षा तथा अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्कूल व्यवस्था के अन्त तक विज्ञान व गणित सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए।

- **कृषि तथा उद्योगों के लिए शिक्षा**

कृषि तथा उद्योगों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

- प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। अन्य विश्वविद्यालयों में भी यदि आवश्यक हों तो कृषि के किसी एक या अधिक पक्षों के अध्ययन के लिए सशक्त विभाग खोले जाने चाहिए।
- तकनीकी शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में उद्योगों से सम्बन्धित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- राष्ट्र की कृषि, औद्योगिक तथा अन्य तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता की निरन्तर समीक्षा होती रहनी चाहिए तथा शिक्षा संस्थाओं से निकले छात्रों व रोजगार के अवसरों के बीच संतुलन बनाये रखने के निरन्तर प्रयत्न किये जाने चाहिए।

- **पुस्तकों का उत्पादन**

  प्रोत्साहन तथा पारिश्रमिक की उदार नीति के द्वारा श्रेष्ठतम लेखकों को आकर्षित करके पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। पुस्तकों का मूल्य इतना कम होना चाहिए कि साधारण हैसियत का छात्र भी उन्हें खरीद सकें।

  व्यावसायिक कदमों पर स्वायत्त पुस्तक निगम की स्थापना की सम्भावना पर विचार किया जाना चाहिए तथा कुछ ऐसा मूल पाठ्य-पुस्तकों के लिए प्रयास किये जाने चाहिए जो सम्पूर्ण राष्ट्र में चलें।

- **परीक्षायें**

परीक्षा सुधार का एक प्रमुख ध्येय परीक्षाओं की विश्वसनीयता व वैधता में सुधार करना तथा मूल्यांकन की एक ऐसी सतत् प्रक्रिया बनाना होना चाहिए जिससे छात्रों को अपने उपलब्धि स्तर को उन्नत करने में सहायता मिले न कि किसी समय विशेष पर छात्रों के कार्य की गुणवत्ता देखकर उसे प्रमाणित किया जाये।

- **माध्यमिक शिक्षा**
  - ➢ माध्यमिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरण का एक प्रमुख साधन है। अतः माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ तेजी से उन क्षेत्रों तथा वर्गो को भी दी जानी चाहिए। जिनको अभी तक ये सुविधायें प्राप्त नही हैं।
  - ➢ माध्यमिक स्तर पर तकनीको तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान मोटे तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्था तथा रोजगार के वास्तविक अवसरों के अनुरूप होना चाहिए। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, चिकित्सा व जनस्वास्थ्य, गृह प्रबन्ध, कला व शिल्प, सचिव प्रशिक्षण आदि में भी दी जानी चाहिए।

- **विश्वविद्यालयी शिक्षा**
  - ➢ किन्ही महाविद्यालयों, पुस्तकालयों व अन्य सुविधाओं तथा कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए।
  - ➢ नये विश्वविद्यालय की स्थापना में पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है। आवश्यक धन उपलब्ध होने तथा शिक्षा मानाकों को बनाये रखने में पर्याप्त व्यवस्था होने पर ही नये विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए।
  - ➢ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संगठन तथा इस स्तर पर प्रशिक्षण व अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
  - ➢ उच्च अध्ययन केन्द्रों को सशक्त बनाया जाना चाहिए तथा अनुसंधान व प्रशिक्षण के उच्चतम सम्भव स्तर के लिए केन्द्रों के कुछ समूह स्थापित किये जाने चाहिए।

- ➢ विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को अधिक सहायता देने की आवश्यकता है। जहाँ तक सम्भव हो चाहिए।

- **अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम**

  विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यकमों का बड़े पैमाने पर विकास किया जाना चाहिए। यह सुविधा माध्यमिक छात्रों, अध्यापकों तथा कृषि, औद्योगिक व अन्य कमियों के लिए भी विकसित की जानी चाहिए। अंशकालीन तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों के द्वारा दी गई शिक्षा की पूर्ण कालीन शिक्षा के समकक्ष स्तर दिया जाना चाहिए।

- **साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार**
  - ➢ राष्ट्रीय विकास की गति को तीव्र करने के लिए लोक निरक्षरता को समाप्त करना आवश्यक है। बड़े-बड़े व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को यथाशीघ्र कार्यवाहक साक्षर बनाया जाना चाहिए। अध्यापकों तथा छात्रों को साक्षरता अभियान आयोजित करने में, विशेष रूप से सामाजिक व राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों के अंग के रूप में, सक्रिय ढंग से भाग लेना चाहिए।
  - ➢ नवयुवक किसानों की शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिए युवा वर्ग के प्रशिक्षण पर विशेष बल देना चाहिए।

- **खेल-कूद**

  आम छात्रों तथा साथ ही साथ खेल कूद में प्रवीण छात्रों की शारीरिक योग्यता व खेल कुशलता में वृद्धि के उद्देश्य के लिए खेलकूद का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। जहाँ पर क्रीड़ा प्राँगण तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर ये सुविधाएँ वरीयता आधार पर प्रदान की जानी चाहिए।

- **अल्पसंख्यकों की शिक्षा**

  अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाये रखने एवं उनकी शेक्षिक अभिरूचि को बढ़ाने के लिए यथा सम्भव शैक्षिक प्रयत्न किये जाने चाहिए।

- **शैक्षिक ढाँचा**

  राष्ट्र के प्रत्येक भाग में शैक्षिक ढाँचे का मोटे तौर पर एक समान होना आवश्यक है। इसके लिए 10+2+3 के ढाँचे को अपनाना चाहिए, जिसमें दो वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूलों में अथवा कॉलेजों में अथवा दोनों में हो सकता है।

  राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 की घोषणा होने पर इसके सम्बन्ध में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हुई। कुछ ने इसका स्वागत किया जबकि कुछ ने इसकी आलोचना की। वस्तुतः सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भारतीय शिक्षा के इतिहास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है जिसने राष्ट्र की लक्ष्यविहीन शिक्षा प्रणाली को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। एक लम्बी अवधि तक राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का विकास इस शिक्षा नीति के अनुरूप होता रहा।

बोध प्रश्नः

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 में शिक्षा पर किये जानें वाले व्यय को कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था?

....

....

2. संविधान की धारा–351 में क्या प्रावधान है?

....

3. समान स्कूल पद्धति को क्यों अपनाया जाना चाहिए?

....

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1968 में अंश कालीन व पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में क्या सुझाव दिया है?

....

2.6 शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के समग्र रूप पर विचार कोठारी आयोग (1964–66) ने किया, जिसके आधार पर जुलाई, सन् 1968 ई. में सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी, किन्तु शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं प्रावधानों को पूर्णरूपेण लागू नहीं किया जा सका।

जनवरी, सन् 1985, में देश के भूतपूर्ण प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी ने सत्ता सम्भालते ही नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने एवं लागू करने की घोषणा की, जिसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गयी। इस समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर "Challenge of Education- "A Policy Perspective" डाक्यूमेण्ट प्रकाशित किया गया। इस डाक्यूमेण्ट के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित प्रारुप को अन्तिम प्रारूप प्रदान करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल (CABE) के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मई, सन् 1986 ई. में संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारुप को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी और स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अभिप्रायः ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है, जिसके अन्तर्गत जाति, धर्म, लिंग एवं निवास के विभेदीकरण के बिना एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मकता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के प्रमुख प्रस्तावों, प्रावधानों एवं उपलब्धियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट किया गया कि नीति को लागू करने से 90प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। अधिकतर राज्यों द्वारा 10 + 2 + 3 की शैक्षिक संरचना को लागू किया, परन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र ने स्वीकार नहीं किया। द्रुतगति से इसे अधिक सफल बनाया जाय।
- शिक्षा नीति में 6–14 वर्ग की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि वर्ष 1990 तक 6–11 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं 11–15 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को वर्ष 1995 तक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। प्राथमिक शिक्षा बाल केन्द्रित होगी। गुणात्मकता में वृद्धि के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (Operation Black Board) को लागू किया जायेगा। नीति में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि स्कूल छोड़ने वाले (Dropouts) या कामगार बच्चों के लिए व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जायेगा। बच्चों की प्रकृति के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व बाल्यावस्था, फैमिली डे केयर सेण्टर (family day care centre), पूर्व प्राथमिक विद्यालयों और बालबाड़ी एवं आँगनबाड़ी में खोले जाने का प्रस्ताव है जहाँ बच्चों का बाल केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था के तहत सर्वांगीण विकास किया जायेगा। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सन् 2000 ई. तक 70 प्रतिशत बच्चों का शिक्षा एवं देखभाल की सुविधा प्रदान करायी जायेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान मानविकी और समाज विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं के लिए तैयार करती है। यह भी तय किया गया कि सन् 1990 ई. तक 10 प्रतिशत तथा सन् 1995 ई. तक 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा + 2 स्तर तक प्रदान की जायेगी। इस स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को भाषा, पर्यावरण का ज्ञान, गणित, कम्प्यूटर, विज्ञान, नैतिक शिक्षा एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUP.W) का अध्ययन करना होगा, इसके अतिरिक्त उन्हें खेल–कूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। शिक्षा नीति में आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च शैक्षिक लब्धि तथा प्रतिभाशाली छात्रों को माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क नवोदय विद्यालयों में दी जायेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बताया गया है कि देश में 150 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय हैं। अब इनके सुदृढ़ीकरण के लिए संसाधन जुटाये जायेंगे। स्नातक उपाधि की अवधि 3 वर्ष की होगी और उच्च शिक्षा की गुणात्मकता को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य–श्रव्य सामग्री तथा विद्युतीय शैक्षिक, उपकरणों द्वारा शिक्षण के प्रयास किये जायेंगे। उच्च शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की वृद्धि तथा शिक्षा के प्रजातन्त्रीयकरण के लिए मुक्त विश्वविद्यालय (open universities) का गठन किया जायेगा और शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। सितम्ब्र सन् 1985 में गठित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। ग्रामीण अंचलों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास के लिए माहात्मा गाँधी के सर्वोदयी–दर्शन एवं विचारों के आधार पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों का गठन

किया जायेगा। देश में 21 कॉलेजों को स्वायत्तता मिल चुकी है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 500 कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान की जायेगी। शिक्षा नीति में उपाधियों को कुछ सेवाओं और रोजगारों से असम्बद्ध करने के लिए प्रयास करने का प्रस्ताव रखा गया। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की अनिवार्यता एवं नवनियुक्त प्रवक्ताओं को शिक्षण कला एवं मनोविज्ञान में प्रशिक्षित किये जाने के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

उच्च शिक्षा में शोध कार्य के महत्त्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शोध परिषद का गठन किया जायेगा।

- शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया कि अभी तक जो शैक्षिक अवसरों में समानता की सुविधाआं से वंचित रहे, उन पर ध्यान देकर असमानताओं को दूर किया जायेगा और शिक्षा प्राप्ति के लिए अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं–

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में वृद्धि करने एवं उपलब्ध कराने, उन्हें सशक्त बनाने, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। महिलाओं के लिए व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की जायेगी। (ख) शिक्षा नीति का स्पष्ट मत है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शैक्षिक अवसरों में वृद्धि कर प्रत्येक स्तर पर उनके शैक्षिक विकास को सवर्णो के समतुल्य लाना है। इस कार्य के लिए–

- ➢ बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए उनको नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहन; जैसे–छात्रवृति, गणवेश, छात्रावास की सुविधा, पुस्तकों की सुविधा दी जायेगी।
- ➢ अनुसूचित जाति के शिक्षकों के चयन को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ➢ शिक्षा नीति में यह भी प्रस्ताव किया गया कि पिछड़े क्षेत्र एवं पिछड़े वर्गो के छात्रों का पता लगाया जायेगा तथा उनके शैक्षिक पिछड़ेपन के अन्तर को कम करने के लिए समुचित सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।
- ➢ शिक्षा नीति में अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को स्वीकार किया गया है और यह निश्चित किया गया कि इस समुदाय को सामाजिक न्याय की दृष्टि से शैक्षिक समानता पर ध्यान दिया जायेगा। उन्हें अपनी शैक्षिक संस्थाएँ खोलने, चलाने एवं संस्कृति के लिए संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान प्राप्त रहेंगे।
- ➢ शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया गया कि विकलांगों की शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ बच्चों के समतुल्य शैक्षिक विकास करना है, जिससे उनमें उत्साह और विश्वास के साथ जीने की क्षमता उत्पन्न हो। इसके लिए जहाँ तक सम्भव हो, सभी को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाय। विशेष विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय यथासम्भव खोले जायें और स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाय।

- शिक्षा नीति में 15–35 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों की निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्र को कृत संकल्प होना चाहिए और वर्ष 1995 तक 10 करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शिक्षा नीति में प्रौढ़ साक्षरता अभियान के लिए–

  (क) ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का गठन किया जायेगा। (ख) श्रमिकों एवं कर्मचारियों को उनके नियोक्ता संघों, द्वारा साक्षर बनाने के प्रयास किये जायेंगे। (ग) टी.वी. ,रेडियो एवं फिल्मों जैसे सशक्त संचार माध्यमों का प्रयोग प्रौढ़ों को साक्षर करने के लिए किया जायेगा। (घ) आवश्यकता एवं रूचि पर आधारित व्यवसायों के प्रशिक्षण की सुविधा उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी। (ड़) नेहरू युवक केन्द्रों की सक्रिय भूमिका उपलब्ध करायी जायेगी।
- शिक्षा नीति में विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर एवं पर्यावरण का ज्ञान दिये जाने की व्यवस्था एवं 1968 की नीति के अनुसार भाषा अध्ययन के मूल्यांकन का प्रस्ताव किया गया। विद्यालयों में योग शिक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षा एवं मूल्यांकन को शिक्षा–अधिगम प्रक्रिया को महत्त्वपूर्ण अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया।

  परीक्षा प्रणाली को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध बनाने के लिए मूल्यांकन को सतत् एवं व्यापक बनाने का सुक्षाव दिया गया। बाह्य परीक्षाओं में कमी कर संस्थागत मूल्यांकन को वरीयता प्रदान की जाय। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली लागू की जाय। परीक्षा प्रणाली में संयोग एवं सापेक्षता तत्वों को हटाने एवं कण्ठस्थीकरण को कम करने का प्रयास किया जाय।
- शिक्षा नीति में शिक्षक के स्थान को समाज में सर्वोच्च माना गया और यह भी कहा गया "No people can rise above the level of the teacher". और शिक्षकों से कक्षा में शिक्षण कार्य करने की अपेक्षा की गयी। शिक्षकों की चयन प्रणाली में सुधार, सेवा शर्तों में सुधार पर विचार करते हुए चयन विधियों का पुनर्गठन किया जायेगा। वेतन भत्ते सम्बन्धी असमानताएँ दूर की जायेंगी। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा प्रारम्भ की जायेगी। शिक्षा नीति में शिक्षक संघों के महत्त्व को स्वीकार करते शिक्षकों के सम्मान, अधिकारों की रक्षा एवं व्यावसायिक आचार संहिता के विकसित किये जाने में संघो के योगदान का प्रस्ताव किया गया।
- शिक्षा नीति में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए प्रस्ताव किया गया।

  प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व सेवा एवं सेवारत प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institute of Education and Training) (DIET) के रूप में विकसित करने का प्रावधान निर्धारित किया गया। माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन किया जायेगा। कुछ प्रशिक्षण महाविद्यालयों को व्यापक संस्थान (Comprehensive Institute) के रूप में विकसित किया जायेगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना आरम्भ की जायेगी।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबन्ध पर विचार किया गया, जिसमें शिक्षा प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण करने और स्वायत्तता की भावना का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सलाहकार मण्डल राष्ट्रीय शिक्षा के क्रियान्वयन एवं शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन आदि के लिए महत्त्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करेगी। भारतीय शिक्षा सेवा (I.E.S) की स्थापना शिक्षा प्रबन्ध की दिशा में एक अनिवार्य एवं उपयोगी कदम होगा। राज्य स्तर पर राज्य सरकारें शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों का क्रियान्वयन, नियन्त्रण, योजना बनाना राज्य शिक्षा परामर्श मण्डल के माध्यम से करेगा। जिला स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम का प्रमुख दायित्व मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) एवं जिला शिक्षा बोर्ड का होगा। शैक्षिक कार्यक्रमों में जनता के सहयोग पर सर्वाधिक बल देते हुए शिखा नीति में गैर–सरकारी अभिकरणों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।
- शिक्षा नीति में शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) के राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत से अधिक शिक्षा पर व्यय करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 10 प्रतिशत तथा राज्य बजट का 30 प्रतिशत खर्च किया जायेगा। शिक्षा के विकास के लिए धन स्रोत सरकारी अनुदान के अतिरिक्त दान को प्रोत्साहित कर, वृद्धि करके एवं बचत करके संसाधन जुटाये जा सकते हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी प्रावधान निर्धारित किया गया कि शिक्षा नीति के आयामों, क्रियान्वयन, उपलब्धियों एवं कमियों आदि की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्ष बाद की जायेगी।

2.6.1 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1992

शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श बोर्ड का गठन, 1935 में स्वाधीनता से पूर्व किया गया था और यह अब भी शिक्षा की नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने और उनकी प्रगति पर निगह रखने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण हैं– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986, कार्य–योजना 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना 1992

शिक्षा प्रबन्ध और नीति–1992 – नीति निर्धारण के साथ–साथ, शिक्षा विभाग राज्यों से मिलकर शैक्षिक नियोजन का दायित्व भी निभाता है। शिक्षा को छठी योजना तक विकास प्रक्रिया के संसाधन की जगह सामाजिक सेवा मात्र समझा जाता था, लेकिन अब शिक्षा को मानव संसाधन के जरिये देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण कारक माना जाने लगा है। यह बात सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा बजट में संसधानों के आवंटन में प्रतिबिम्बित होती है। आठवीं योजना में केन्द्र तथा राज्यों के लिए शिक्षा पर 19,5999.7 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया, जो सातवीं योजना के व्यय 7,633.1 करोड़ रूपये यानि

2.6 गुना अधिक था। इस वृद्धि के साथ–साथ शिक्षा के लिए केन्द्रीय नियोजन आवंटन 1994–95 के 1,541 करोड़ रूपये से बढ़कर 1995–96 के 1,925 करोड़ रूपये कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र के भीतर ही संसाधनों के आवंटन का रूझान उच्चतर शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा परिव्यय 1995–96 में 24.5 प्रतिशत बढ़कर 65.04 करोड़ कर दिया गया।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर है। 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी समीक्षा की। सिफारिशों पर शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया और आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री एन.जानर्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी, 1992 को नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार करके इसमें कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था। परिणमस्वरूप संसद के समझ 7 मई, 1992 को शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं संशोधित नीतियाँ कुछ सुझावों के साथ रखी गयीं। साथ ही साथ नीति को लागू करने की संशोधित कार्य योजना तैयार की गयी और 19 अगस्त, 1992 को संशोधित कार्यनीति-1992 संसद के समक्ष रखी गयी। सबके लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पाँच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गयी, ताकि समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को बनाया जा सके तथा आर्थिक ध्रुवीकरण उदारीकरण की नई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

बोध प्रश्न :

1. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से क्या अभिप्राय है?

....

....

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में स्कूल छोड़ने वाले और कामगर बच्चों के लिये कौन सा कार्यक्रम चलाया गया?

....

....

3. नवोदय विद्यालयों में किन बच्चों की शिक्षा के लिये प्रावधान रखा गया है?

....

....

4. प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व सेवा एवं सेवारत प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में क्या प्रावधान किया गया था?

....

....

5. सन् 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा किसकी अध्यक्षता में की गई थी?

....

....

6. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1992 की मुख्य अनुशंसायें क्या थी?

....

....